

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 407 / 11.

संस्थित दिनांक- 07.09.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. मलखान पुत्र नारायण सिंह यादव उम्र 65 साल
 2. प्रतिपाल सिंह पुत्र नारायण यादव उम्र 47 साल
 3. चार्ली उर्फ अवधेश पुत्र मलखान उम्र 27 साल
- सभी निवासीगण ग्राम ललाई
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324 / 34, 506 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप हे कि उन्होंने दिनांक 15.08.11 को सुबह 09:00 बजे ग्राम ललोई में लोकस्थान में फरियादी उरेर सिंह को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी उरेर सिंह को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.11 को ग्राम ललोई में सुबह 09:00 बजे फरियादी उरेर सिंह अपने भैसों को चराने के लिये ले जा रहा था तो उसी समय उसी के गाव अभियुक्त मलखान सिंह, प्रतिपाल सिंह तथा चार्ली यादव आकर फरियादी से पुरानी रंजिश पर से रास्ता रोककर मादरचोद बहनचोद की गंदी-गंदी गालियां देने लगे जब फरियादी उरेर सिंह ने गालियां देने से मना किया तो प्रतिपाल तथा चार्ली फरियादी से चेटने लगे और जमीन पर पटक दिया मलखान ने फरियादी को फर्सा मारा जो फरियादी के जांघ में लगा जिससे खून निकल आया दूसरा फर्सा मारा तो बाये हाथ में भुजा में लगा फरियादी जब थोडा सा वहां से हटा फिर भी फरियादी उरेर के खरोंच आ गई और जमीन पर गिरने से उसके बाये हाथ में चोट आने से खून निकल आया। प्रतिपाल तथा चार्ली ने लात घूंसों से मारपीट करने लगे जब फरियादी चिल्लाया तो फरियादी का भाई नेपाल आया। तब तीनों अभियुक्तगण कहने लगे आज तो बच गया अब आया तो जान

से खत्म कर देंगे। घटना के बाद घटना दिनांक को ही फरियादी उरेर सिंह ने अपने भाई नेपाल के साथ थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—353/11 अंतर्गत धारा 341, 294, 324, 506बी भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.03.17 को फरियादी उरेर सिंह के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण राजीनामे के आधार परो भा0द0वि0 की धारा 294, 506 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा—324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04— अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 15.08.11 को सुबह 09:00 बजे ग्राम ललोई में उरेर सिंह को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी उरेर सिंह को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादी उरेर सिंह अ0सा0—1 सहित नेपाल सिंह अ0सा0—2 व मुसाब अ0सा0 3 के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी उरेर सिंह अ0सा0—1 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण से उसका पूर्व से ही मनमुटाव चल रहा था। इस साक्षी के अनुसार अभियुक्तगण की भैंस को किसी ने कुल्हाड़ी मार दी थी, जिस पर अभियुक्तगण उसका नाम ले रहे थे। फरियादी का कहना है कि घटना दिनांक को जब वह भैंसों चराने के लिये जा रहा था, तो उक्त बात पर से अभियुक्त प्रतिपाल व चार्ली उसे मिले थे और उसे मां बहन की गालियां देने लगे थे। जिसके बाद हल्ले की आवाज सुन कर गांव वालों के बीच बचाव कराया था। फरियादी के अनुसार मौके पर केवल प्रतिपाल व चार्ली से उसका मुंहवाद हुआ था तथा अभियुक्त मलखान मौके पर नहीं था।

- 07— फरियादी उरेर सिंह अ0सा0—1 ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना फरियादी घटना में केवल मुंहवाद होना बताता है तथा फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये कि अभियुक्तगण ने उसके साथ घटना दिनांक को मारपीट की थी। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार मौके पर तीनों अभियुक्तगण ने फरियादी उरेर सिंह अ0सा0—1 के थी जिसमें मलखान ने फर्से से एवं शेष अभियुक्तगण ने लात घूंसों से मारपीट की थी। परन्तु फरियादी अभियोजन कहानी के विरुद्ध मलखान को घटना स्थल पर उपस्थित न होकर उसके साथ कोई विवाद न होना बताता है। तथा घटना में शेष अभियुक्तों से भी मुंहवाद होना बताता है। अतः फरियादी उरेर सिंह अ0सा0—1 के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 से मेल नहीं खाते जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 से नहीं होती है।
- 08— अभियोजन का समर्थन न करने के कारण एवं अभियोजन कहानी के विरुद्ध कथन देने से फरियादी उरेर सिंह अ0सा0—1 को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर फरियादी का विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु फरियादी ने अपने संपूर्ण परीक्षण में अभियोजन का आरोपित अपराध के संबंध में लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी ने अपने परीक्षण में अभियोजन की ओर से दिये गये सुझाव की अभियुक्त मलखान ने उसे फर्से से मारा था तथा शेष अभियुक्तगण ने उसके साथ लातघूंसों से मारपीट की थी तथा घटना में उसे चोटे आई थी, का स्पष्ट रूप से खण्डन करते हुये यह कथन दिये है कि ऐसी कोई घटना हुई और न ही उसने पुलिस को प्र0पी 1 एवं न्यायालीन कथन प्र0पी0 3 में ऐसी कोई घटना लेख कराई। फरियादी उरेर सिंह का अभियोजन के विरुद्ध यह कहना है कि उसका आरोपीगण से मात्र मुंहवाद हुआ था फरियादी के अनुसार आरोपीगण ने न तो उसके साथ कोई मारपीट की और न ही घटना में उसे कोई चोट आई।
- 09— घटना के अन्य साक्षी फरियादी उरेर सिंह अ0सा0—1 के भाई नेपाल अ0सा0—2 एवं घटना के अन्य साक्षी के रूप में मुसाब अ0सा0—3 ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इंकार करते हैं तथा अपने सामने कोई घटना न होना बताते हैं। इन साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया परन्तु इन साक्षियों के द्वारा भी आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये गये। नेपाल अ0सा0—2 के अनुसार उसके भाई ने उसे केवल मुंहवाद की घटना बताई थी तथा घटना के समय वह गांव में नहीं था, वहीं साक्षी मुसाब अ0सा0 3 भी घटना की जानकारी होने से इन्कार करता है, जबकि अभियोजन के अनुसार यह दोनों ही साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी हैं।
- 10— उरेर सिंह अ0सा0—1 सहित नेपाल सिंह अ0सा0—2 व मुसाब अ0सा0—3 के न्यायालीन कथनों से साक्ष्य के अभाव में एवं इन दोनों ही साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटना दिनांक अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ किसी धारदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित

की। फरियादी उरेर सिंह जो कि घटना में स्वयं आहत होकर उसी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 लेखबद्ध कराई गई है। अपने न्यायालीन कथनों में मारपीट के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई इस बात से इन्कार करता है तथा स्वयं फरियादी के अनुसार घटना में मारपीट नहीं हुई थी केवल मुंहवाद हुआ था।

- 11— अतः साक्ष्य के अभाव में एवं साक्षियों के द्वारा अभियोजन घटना के समर्थन में कथन न देने से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्तगण ने दिनांक—15.08.11 को सुबह 09:00 बजे ग्राम ललोई में उरेर सिंह को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी उरेर सिंह को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 13— फलस्वरूप मलखान पुत्र नारायण सिंह यादव, प्रतिपाल सिंह पुत्र नारायण यादव, चार्ली उर्फ अवधेश पुत्र मलखान के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण मलखान पुत्र नारायण सिंह यादव, प्रतिपाल सिंह पुत्र नारायण यादव, चार्ली उर्फ अवधेश पुत्र मलखान को भा0दं0वि0 की धारा 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— अभियुक्तगण मलखान पुत्र नारायण सिंह यादव, प्रतिपाल सिंह पुत्र नारायण यादव, चार्ली उर्फ अवधेश पुत्र मलखान के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्य हीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(5)

दांडिक प्रकरण क.- 407/11.